

राजस्थान आवासन मण्डल

योजना की प्रारम्भ तिथि
22.06.2016

प्रताप नगर योजना जयपुर में केवल सांगानेर के पूर्व पंजीकृत (सामान्य पंजीकरण योजना) आवेदक एवं आम जनता के लिए नकद भुगतान पद्धति में खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत फ्लैट प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर।

योजना की अन्तिम तिथि
30.06.2016

प्रताप नगर, सांगानेर में विभिन्न आय वर्ग के फ्लैटों का नगद भुगतान पद्धति पर आवंटन किया जाना है। उपलब्ध फ्लैटों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	योजना का नाम	आय वर्ग	कुल फ्लैट संख्या	सम्बन्धित खण्ड कार्यालय
1	सैक्टर-29 (घरौंदा के आगे)	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+3)	54	तृतीय
2	गोदावरी अपार्टमेन्ट (जी+3) सेक्टर-29, प्रताप नगर	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	9	बारह
3	सेक्टर-08, प्रताप नगर	अल्प आय वर्ग	1	चतुर्थ
		मध्यम आय वर्ग-अ (जी+1)	3	पंचम
4	अल्कनन्दा अपार्टमेन्ट (जी+3) सेक्टर-09, प्रताप नगर	मध्यम आय वर्ग-अ (जी+1)	11	
		अल्प आय वर्ग	1	चतुर्थ
5	सतलज अपार्टमेन्ट (जी+3) सेक्टर-28, प्रताप नगर	अल्प आय वर्ग	36	पंचम एवं दशम
6	प्रताप अपार्टमेन्ट (स्टिल्ट+10) सेक्टर-29, प्रताप नगर	अल्प आय वर्ग	206	
		मध्यम आय वर्ग-अ	31	
		मध्यम आय वर्ग-ब	3	पंचम
		उच्च आय वर्ग-I	12	
7	मेवाड़ अपार्टमेन्ट (स्टिल्ट+9) सेक्टर-15, प्रताप नगर	उच्च आय वर्ग-II	07	
		उच्च आय वर्ग-I	3	पंचम
8	सरस्वती अपार्टमेन्ट (स्टिल्ट+6) सेक्टर-18, प्रताप नगर	उच्च आय वर्ग-II	19	
		मध्यम आय वर्ग-ब	5	चतुर्थ
9	सेक्टर-05, प्रताप नगर	मध्यम आय वर्ग-ब (जी+1)	1	
		मध्यम आय वर्ग-ब (जी+2)	2	चतुर्थ
		उच्च आय वर्ग (जी+1)	6	
10	व्यास अपार्टमेन्ट, सेक्टर-11, प्रताप नगर	मध्यम आय वर्ग-ब (जी+2)	1	
		उच्च आय वर्ग (जी+2 एवं एस+3)	47	बारह
11	बनास अपार्टमेन्ट (स्टिल्ट+10) सेक्टर-26, प्रताप नगर	उच्च आय वर्ग	2	दशम

आवंटन प्रक्रिया एवं विशेष बिन्दु

- नगद भुगतान पर पूर्व पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण वर्ष के अनुसार प्रथम वरीयता।
- नगद भुगतान पर अपंजीकृत आवेदकों को द्वितीय वरीयता।
- फ्लैटों का आवंटन "जहां है जैसी स्थिति में है" के आधार पर किया जावेगा।
- विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित वृत्त/खण्ड कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है, साथ ही विस्तृत जानकारी मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
- इस योजना में दिनांक 22.06.16 से दिनांक 30.06.16 तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे। आवेदन फॉर्म दिनांक 20.06.16 से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से 200/- रुपये नगद भुगतान पर कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। फ्लैट आवंटन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में सांय 3.00 बजे तक आवेदन स्वीकार किये जावेंगे एवं फ्लैटों का आवंटन उसी दिन उपरिस्थित आवेदन कर्ताओं के सम्मक्ष सांय 4.00 बजे से शुरू कर दिया जावेगा।
- आवेदक को उसकी वार्षिक आय के अनुसार, निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई राशि का बैंक ड्राफ्ट राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के पक्ष में देय बनवाकर आवेदन पत्र के साथ जमा कराना होगा :-

क्र. सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय	पंजीकरण राशि	पूर्व ग्रहण राशि	कुल देय डीडी का योग
1	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	1,00,000 रुपये तक	7,000 रुपये	5,000 रुपये	12,000 रुपये
2	अल्प आय वर्ग	1,00,001 से 2,50,000 रुपये तक	15,000 रुपये	10,000 रुपये	25,000 रुपये
3	मध्यम आय वर्ग (अ)	2,50,001 से 4,50,000 रुपये तक	50,000 रुपये	40,000 रुपये	90,000 रुपये
4	मध्यम आय वर्ग (ब)	4,50,001 से 6,00,000 रुपये तक	80,000 रुपये	70,000 रुपये	1,50,000 रुपये
5	उच्च आय वर्ग	6,00,001 से अधिक	1,20,000 रुपये	1,00,000 रुपये	2,20,000 रुपये

नोट:-

- यदि आवेदक अपने आय वर्ग से एक वर्ग ऊपर अथवा एक वर्ग नीचे के फ्लैट हेतु आवेदन करता है तो उसे मूल आय वर्ग से ऊपर के लिए निर्धारित पंजीकरण राशि एवं पूर्व ग्रहण राशि तथा मूल आय वर्ग से नीचे के वर्ग के लिए अपने मूल आय वर्ग के अनुसार निर्धारित पंजीकरण राशि एवं पूर्व ग्रहण राशि का बैंक ड्राफ्ट आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- उपरोक्त फ्लैटों की निर्धारित लागत के अतिरिक्त कोने के भूतल के फ्लैट के लिए निर्माण लागत का 2 प्रतिशत, लीज राशि भूमि की लागत का 2.5 प्रतिशत, ए.एस.सी. चार्जज कुल लागत का मध्यम आय वर्ग (अ), (ब) एवं उच्च आय वर्ग के लिए 3 प्रतिशत तथा जी+3 के अधिक के मंजिले फ्लैटों के लिये पार्किंग के लिए कुल लागत का 2.5 प्रतिशत (खुली पार्किंग) एवं लागत का 5 प्रतिशत (स्टिल्ट पार्किंग) व रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी चार्जज नियमानुसार अलग से वसूल जायेंगे इसके अतिरिक्त मकान की पूर्ण लागत का सेवाकर, लीगल चार्जज, एवं नक्शे की राशि भी पृथक से देय होगी। फ्लैट में अतिरिक्त निर्माण की लागत भी पृथक से चार्ज की जायेगी (यदि कोई हो)। लागत की जानकारी वृत्त/खण्ड कार्यालय एवं मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

सम्पर्क सूत्र

- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, सेक्टर-05, प्रताप प्लाजा के पास, टॉक रोड, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर (0141-2791320)
- आवासीय अभियन्ता, खण्ड - तृतीय, हल्दीघाटी मार्ग गेट के पास, सेक्टर-08, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (0141-2791198)
- आवासीय अभियन्ता, खण्ड - चतुर्थ, 34/43, सेक्टर-03, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (0141-2792600)
- आवासीय अभियन्ता, खण्ड - पंचम, प्रताप अपार्टमेन्ट, सैक्टर-29, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर (0141-2973848)
- आवासीय अभियन्ता, खण्ड - दशम, हल्दीघाटी मार्ग गेट के पास, सेक्टर-08, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (0141-2791648)
- आवासीय अभियन्ता, खण्ड - बारह, 110/ए/13, कुम्मा मार्ग, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर (0141-2790270)

दीनेश कुमार 13-06-16

अल्प आय वर्ग-प्रताप अपार्टमेन्ट (स्टिल्ट+10) सेक्टर-29								
22	LA-104, 204, 209, 210, 304, 312, 314, 403, 405, 413, 414, 416, 418, 420, 505, 513, 518, 520, 610, 617, 709, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 720, 809, 810, 811, 812, 813, 815, 817, 819, 905, 909, 911, 912, 913, 914, 916, 919, 1004, 1005, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1019, 1020, LB-128, 202, 206, 210, 218, 219, 303, 307, 316, 322, 402, 403, 404, 412, 418, 419, 503, 504, 509, 515, 517, 519, 522, 523, 528, 530, 533, 601, 602, 609, 611, 613, 614, 616, 617, 622, 623, 629, 633, 634, 701, 702, 703, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 727, 728, 729, 731, 733, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 824, 827, 828, 831, 832, 833, 901, 902, 904, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 916, 917, 918, 920, 921, 922, 924, 925, 927, 929, 931, 933, 1006, 1007, 1011, 1012, 1015, 1022, 1023, 1024, 1025, 1029, 1030, 1032, 1033, LC-124, 224, 226, 310, 314, 413, 414, 423, 509, 511, 525, 609, 623, 624, 625, 626, 709, 714, 724, 725, 809, 810, 814, 821, 822, 826, 909, 912, 913, 922, 924, 1009, 1010, 1011, 1013, 1014, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026	206	(S+10)	LIG	42.440	24.790	17,58,900	पंचम
मध्यम आय वर्ग-अ (जी+1) सेक्टर-08								
23	82/208 to 211	04	भूतल	MIG-A	34.33	35.20	11,66,800	पंचम
24	82/213 to 216 & 218 to 220	07	प्रथम	MIG-A	24.32	23.49	9,70,900	
मध्यम आय वर्ग-अ : प्रताप अपार्टमेन्ट (स्टिल्ट+10) सेक्टर-29								
25	MA-1/103, 109, 115, 203, 302, 404, 409, 415, 506, 602, 615, 806, 904, 908, 912, 913, 1014, MA-2/212, 311 & 1003	20	(S+10)	MIG-A	57.390	35.530	25,44,700	पंचम
26	MA-2/101, 110, 405, 705, 709, 710, 806, 907, 910, 1011 & 1012	11	(S+10)	MIG-A	57.39	35.530	25,44,700	
मध्यम आय वर्ग-ब : प्रताप अपार्टमेन्ट (स्टिल्ट+10) सेक्टर-29								
27	MB-2/207, 905 & 1007	03	(S+10)	MIG-B	88.560	45.910	37,17,400	पंचम
उच्च आय वर्ग : प्रताप अपार्टमेन्ट (स्टिल्ट+10) सेक्टर-29								
28	HA/202, 505, 601 & 1004	04	(S+10)	HIG-I	131.970	78.620	58,20,700	पंचम
29	HE/105, 205, 301, 304, 504, 705, 805 & 905	08	(S+10)	HIG-I	131.970	78.620	58,20,700	
30	HA/803	01	(S+10)	HIG-II	106.96	63.72	46,47,400	
31	HE/503, 603, 703, 803, 903 & 1003	06	(S+10)	HIG-II	106.980	63.72	46,47,400	
उच्च आय वर्ग : मेवाड़ अपार्टमेन्ट (स्टिल्ट+9) सेक्टर-15								
32	D-101, D-104 & E-308	03	(S+9)	HIG-I	138.70	72.26	52,91,700	पंचम
33	D/202	01	(S+9)	HIG-II	117.310	61.110	48,23,300	
34	A-102, 402, 703, 706, B-303, C-606, 607, D-403, 703, E-107, 202, 203, 403, 406, 603, 607, 702 & 703	18	(S+9)	HIG-II	117.310	61.110	47,75,100	
मध्यम आय वर्ग-ब : सरसवती अपार्टमेन्ट (स्टिल्ट+6) सेक्टर-18								
35	18/B/24, 18/C/01, 13, 18/G/02 & 07	05	(S+6)	MIG-B	94.487	84.206	42,77,700	चतुर्थ

मध्यम आय वर्ग-ब (जी+2) सेक्टर-05								
36	52/N/23	01	द्वितीय	MIG-B	136.194	67.978	46,66,600	चतुर्थ
37	52/565	01	प्रथम	MIG-B	92.335	45.050	18,35,100	
38	52/N/13	01	भूतल	MIG-B	125.537	167.420	61,64,100	
मध्यम आय वर्ग-ब (जी+2) व्यास अपार्टमेन्ट, सेक्टर-11								
39	110/C/56	01	भूतल	MIG-B	95.720	67.920	30,31,600	बारह
उच्च आय वर्ग (जी+2 एवं एस+3)								
40	110/A/49, 61, 62, 73, 74, 85 & 86	07	भूतल	HIG	122.157	106.632	52,45,000	बारह
41	110/A/15, 16, 29, 30, 41, 51, 53, 63, 64,66, 75 to 78 & 87 to 90	18	प्रथम	HIG	122.157	47.309	40,42,900	
42	110/A/33, 44, 45, 55, 57, 69, 79, 80, 81, 82 & 91 to 94	14	द्वितीय	HIG	122.157	35.094	37,95,400	
43	110/A/24, 59, 60, 71, 83, 84, 95 & 96	08	तृतीय	HIG	122.157	22.879	35,47,800	
उच्च आय वर्ग : बनास अपार्टमेन्ट (स्टिल्ट+10) सेक्टर-26								
44	26/H/B-4/904 & 1008	02	(S+10)	HIG	140.250	48.56	47,76,400	दशम
उच्च आय वर्ग (जी+1) सेक्टर-05								
45	52/228	01	प्रथम	HIG	119.552	84.966	29,43,600	चतुर्थ
46	52/213, 214, 217, 221 & 225	05	भूतल	HIG	114.747	167.034	46,86,700	

नोट:- उपरोक्त लागत के अतिरिक्त कोने के भूतल के फ्लैट के लिए निर्माण लागत का 2 प्रतिशत, लीज राशि भूमि की लागत का 2.5 प्रतिशत, ए.एस.सी. चार्जज कुल लागत का मध्यम आय वर्ग (अ), (ब) एवं उच्च आय वर्ग के लिए 3 प्रतिशत तथा जी+3 के अधिक के मंजिले फ्लैटों के लिये पार्किंग के लिए कुल लागत का 2.5 प्रतिशत (खुली पार्किंग) एवं लागत का 5 प्रतिशत (स्टिल्ट पार्किंग) व रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी चार्जज नियमानुसार अलग से वसूले जायेंगे इसके अतिरिक्त मकान की पूर्ण लागत का सेवाकर, लीगल चार्जज, एवं नक्शे की राशि भी पृथक से देय होगी। फ्लैट में अतिरिक्त निर्माण की लागत भी पृथक से चार्ज की जायेगी।

आवंटन प्रक्रिया एवं विशेष बिन्दु

1. इस योजना में दिनांक 22.06.16 से दिनांक 30.06.16 तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे।
2. इस योजना के आवेदन फॉर्म दिनांक 20.06.16 से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से 200/- रुपये नगद भुगतान पर कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। इस योजना में फ्लैट आवंटन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में सांय 3.00 बजे तक आवेदन स्वीकार किये जावेगे एवं फ्लैटों का आवंटन उसी दिन उपस्थित आवेदन कर्ताओं के समक्ष सांय 4.00 बजे से शुरू कर दिया जावेगा। एक फ्लैट के लिए एक से अधिक विकल्प प्राप्त होने पर लॉटरी द्वारा उपस्थित आवेदकों के सामने आवंटन किया जावेगा। असामान्य परिस्थिति होने पर लॉटरी कार्यक्रम पृथक से निर्धारण करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।
3. इस योजना में सामान्य पंजीकरण योजना के केवल सांगानेर के पूर्व पंजीकृत आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पंजीकरण की राशि का रिफण्ड प्राप्त नहीं हुआ है कोई मकान प्राप्त नहीं किया है तथा किसी अन्य योजना में हस्तान्तरण नहीं करवाया गया है एवं पंजीकरण से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने पर फ्लैट का आवंटन सामान्य श्रेणी का ही मानकर किया जा सकेगा।
4. पंजीकृत आवेदकों को फ्लैटों का आवंटन वर्षानुसार वरीयता क्रम में किया जावेगा।
5. नगद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत फ्लैट की मांग राशि आवेदक को तीन माह में जमा करानी होगी, एवं आवंटन पत्र अनुसार देय राशि जमा नहीं कराने पर फ्लैट निरस्त होने की स्थिति में जमा पंजीकरण राशि नियमानुसार कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
6. इस योजना में आवेदक केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा तथा आवेदन पत्र में केवल एक ही आय वर्ग का एक ही प्रकार के फ्लैट का विकल्प स्वीकार किया जायेगा। यदि आवेदक एक से अधिक फ्लैट लेना चाहता है तो अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

7. इस योजना में असफल आवेदक अपना डीडी अगले कार्य दिवस में प्राप्त कर सकेंगे एवं अन्य फ्लैट के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
8. आवेदक आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार उसके आय वर्ग के अनुसार राशि का बैंक ड्राफ्ट राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के पक्ष में देय बनवाकर जमा कराना होगा।

क्र. स.	आय वर्ग	वार्षिक आय	पंजीकरण राशि	पूर्व ग्रहण राशि	कुल देय डीडी का योग
1	आधिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	1,00,000 रुपये तक	7,000 रुपये	5,000 रुपये	12,000 रुपये
2	अल्प आय वर्ग	1,00,001 से 2,50,000 रुपये तक	15,000 रुपये	10,000 रुपये	25,000 रुपये
3	मध्यम आय वर्ग (अ)	2,50,001 से 4,50,000 रुपये तक	50,000 रुपये	40,000 रुपये	90,000 रुपये
4	मध्यम आय वर्ग (ब)	4,50,001 से 6,00,000 रुपये तक	80,000 रुपये	70,000 रुपये	1,50,000 रुपये
5	उच्च आय वर्ग	6,00,001 से अधिक	1,20,000 रुपये	1,00,000 रुपये	2,20,000 रुपये

9. प्रस्तावित फ्लैटों का आवंटन जहा है जैसे है उसी स्थिति में किया जायेगा।
10. आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के पक्ष में देय बनवाकर आवेदन पत्र के साथ सलंगन करना होगा।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में खुली बिक्री योजना में सम्मिलित फ्लैट को हटाया जा सकता है।
12. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

सम्पर्क सूत्र

- 1 उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, सेक्टर-05, प्रताप प्लाजा के पास, टोंक रोड़, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर (0141-2791320)
- 2 आवासीय अभियन्ता, खण्ड - तृतीय, हल्दीघाटी मार्ग गेट के पास, सेक्टर-08, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (0141-2791198)
- 3 आवासीय अभियन्ता, खण्ड - चतुर्थ, 34/43, सेक्टर-03, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (0141-2792600)
- 4 आवासीय अभियन्ता, खण्ड - पंचम, प्रताप अपार्टमेन्ट, सैक्टर-29, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर (0141-2973848)
- 5 आवासीय अभियन्ता, खण्ड - दशम, हल्दीघाटी मार्ग गेट के पास, सेक्टर-08, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (0141-2791648)
- 6 आवासीय अभियन्ता, खण्ड - बारह, 110/ए/13, कुम्भा मार्ग, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर (0141-2790270)

उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम, जयपुर